against me in the Memorandum that they have submitted to the President in which absolutely false things have been said. For example, in that Memorandum, our Government has been accused of prevailing upon President Musharraf not to see Shri Atal Bihari Vajpayee. This is totally false. Now, this is the length to which the Opposition goes. I think, the country should know that between the two, what they say and what they do, there is a world of difference. I once again appeal to all the Leaders of Opposition to be serious and cooperate with us in conducting the business of the House. This Government is prepared to discuss all the issues and there is no issue which, I think, is barred from discussion in the House.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, with due respect to the hon. Prime Minister,...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, I am not going to allow...(Interruptions)... Please take your seat. I will not allow. Nothing will go on record...(Interruptions)...

SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Shrimati Bimba Raikar. Absent. Shri Ram Narayan Sahu.

Demand to frame guidelines for installation of statue or portrait of the Father of the Nation in the Country

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक विशेष मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूर्ण ध्वज संहिता निर्धारित है, मेरे संज्ञान में है कि राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति की मूर्ति लगाने के बारे में शायद कोई निर्धारित संहिता या कोड निर्धारित नहीं है, जबिक महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता ही नहीं बल्कि विश्व उन्हें महामानव एवं युग पुरुष के रूप में जानता है। माडल कोड न होने के कारण राष्ट्रपिता की मूर्तियां समुचित देखभाल सुरक्षा और स्वच्छता से वंचित रहती हैं। प्रायः पक्षीगण बीट करके मूर्ति को अपवित्र करते रहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रपिता को अपमानजनक शब्द कह कर अपनी राजनीतिक भूख मिटाने का प्रयास ऐसे करते हैं, जैसे कोई खुरपी से हिमालय को खोदने का प्रयास करे और राष्ट्रजन मूक द्रष्टा बन कर देखते रहते हैं। कभी-कभी तो राष्ट्रपिता की मूर्ति को अकारण ही हटा दिया जाता है।

मेरा अनुरोध माननीय साथियों से है कि राष्ट्रिपता के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए माडल कोड निर्धारित किया जाए, जिससे भविष्य में कोई दिश्व मानव राष्ट्रिपता बापू को अपशब्द कहने की हिमाकत न करे। साथ ही राष्ट्रिपता की मूर्ति लगाने, देखमाल करने, उसकी सुरक्षा, सम्मान एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए संहिता में प्रावधान होना चाहिए। मेरा यह भी अनुरोध है

कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बापू की मूर्ति की स्वच्छता और देखभाल की ज़िम्मेदारी किसी विभाग विशेष को तुरन्त सौंपने का आदेश जारी होना चाहिए। धन्यवाद।

(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

Demand for better management of Bodh Gaya temple in Bihar

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): माननीय महोदय, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहां सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान ही भारत का गौरव है। सभी धर्मों के लोग अपनी-अपनी सिमित बना कर अपने धर्म स्थलों एवं पूजा स्थलों की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था करते हैं, किन्तु बोधगया मन्दिर, बिहार का प्रबन्धन पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में नहीं है, बित्क बोधगया मन्दिर प्रबंधन अधिनियम, 1949 के अनुसार बोधगया मन्दिर प्रबन्धन सिमित में बौद्धों के साथ ही साथ हिन्दुओं को भी सिम्मिलित किया गया है तथा जिलाधिकारी गया यदि हिन्दू है, तो वह सिमित का पदेन अध्यक्ष होता है। सिमित में सचिव भी प्रायः हिन्दू होता है। इस प्रकार बोधगया मन्दिर बौद्धों का पवित्र स्थल होते हुए भी प्रबन्धन में बौद्धों की पूर्ण मागीदारी नहीं है या बौद्ध अल्पमत में हैं, जिसके कारण बौद्धों द्वारा काफी समय से जन आन्दोलन किया जा रहा है कि बोधगया प्रबन्धन अधिनियम, 1949 में संशोधन करके बोधगया मन्दिर का प्रबन्धन पूर्ण रूप से बौद्धों को दिया जाए, ताकि अल्पसंख्यक बौद्धों को न्याय मिल सके। साथ ही साथ, भारतीय संविधान के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की गरिमा को सुदृढ किया जा सके। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बौद्धों की मांग न्याय संगत है। इसके परिपालन हेतु सरकार को न्यायोचित कदम उठाकर धार्मिक अल्पसंख्यक बौद्धों को अविलम्ब न्याय प्रदान किया जाए।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): महोदय, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri Gandhi Azad.

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा): महोदय, मैं स्वयं को इनके इस विशेष उल्लेख से संबद्ध करता हूं!

Concern over the spread of meningitis in the capital

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, the National Capital of Delhi is confronted with the menace of spreading Meningitis, which has assumed alarming proportions. Hospitals in the capital are inundated with an unusually large number of "Meningococcemia" (bacterial meningitis cases). A cause of serious concern is that this disease is a highly infectious form of meningitis caused by a bacteria, "Neisseria" meningitides and mortality rate is very high. It has already claimed 8 lives, and a large number of people have shown symptoms, and are suspected to have been infected. Though the health authorities have declared an alert, the present situation has resulted from the failure of the authorities to take